i=l foKfIr

गोरखपुर 22 सितम्बर। किसानों की समस्याओं का गुणात्मक रूप से वास्तविक निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाये और यदि निस्तारण में कोइ्र विधिक कठिनाई हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित को अवगत कराया जाये क्योंकि कृषक हित सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त खाद की तस्करी/कालाबाजारी न होने पाये इसपर सतत निगरानी रखी जाये तथा यह भी सुनिश्चित हो कि निर्धारित नीति से अधिक मूल्य पर खाद बीज की बिक्री न हो सके इसके लिए अनवरत चेकिंग की जाये और जहां अधिक मूल्य पर बिक्री होते पाया जाये तात्कालिक प्रभाव से संबंधित दुकान को निलंबित करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये।

यह निर्देश जिलाधिकारी संजय कुमार ने विकास भवन सभागार में आयोजित कृषक गोष्ठी में अधिकारियों को दिये। कृषक गोष्ठी प्रत्येक माह की 22 तारीख को अपरान्ह 2.30 बजे विकास भवन सभागार में निर्धारित है। इसमें अधिकाधिक कृषक भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करायें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विधुत विभाग को निर्देश दिये कि विधुत दोष से खराब नलकूपों को ठीक कराते हुए समयबद्ध ढंग से खराब/जले ट्रांसफारमरों को बदल दिया जाये। बताया गया कि आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसफारमरों की उपलब्धता नही है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विधुत को निर्देश दिये कि उनकी ओर से एक पत्र मुख्यालय को भेजा जाये क्योंकि पर्व के मद्देनजर इसकी आवश्यकता प्रमुख है। उन्होंने अधिशासी भियंता नलकूप को निर्देश दिये कि सिंचाई के दृष्टिगत हर हाल में खराब नलकूपों को 3 दिन के अन्दर ठीक करा दें और यह सुनिश्चित हो कि कोई भी नलकूप बन्द स्थिति में नही होन चाहिए। इसके अतिरिक्त नालियों की मरम्मत भी प्रमुखता के आधार पर कराया जाये।

जिलाधिकारी ने खाद बीज वितरण के संबंध में उप निदेशक कृषि को निर्देश दिये कि सभी ब्लाकों में यह सुनिश्चित कर दिया जाये कि वितरण की तिथि, समय, मात्रा आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा कृषकों की इसकी जानकारी करायी जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वितरण व्यवस्था पारदर्शी होने चाहिए। उन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान भी समय से करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। उन्होने किसानों से कहा कि वे अपनी समस्याएं उप कृषि निदेशक के मोबाइल न0 9235629490 तथा मुख्य विकास अधिकारी के मो0 न0 9415155121 पर सूचित करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान तात्कालिक प्रभाव से किया जा सके।

जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को यह भी निर्देश दिये कि फसलों, पौधों आदि पर लगने वाली बीमारी के कारण एंव निदान की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना विभाग द्वारा इसका प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि कृषकों को इसकी जानकारी हो सके और वे अपने फसलों/पौधें की सुरक्षा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित हो कि बैंकों द्वारा कृषकों के ऋण वितरण में अनावश्यक परेशान न किया जाये उन्हें समय से ऋण मुहैया कराया जाये। उन्होंने कृषकों द्वारा इस कार्य में की गयी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संजय कुमार ने कहा कि यह स्थिति किसी भी दशा में क्षमय नही है। उनहोंने कहा कि अगर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होगी तो संबंधित बैंक के विरूद्ध शासन को अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संजय कुमार ने सफाई व्यवस्था एंव छिड़काव पर बल देते हुए डीपीआरओ से कहा कि इसके प्रति लापरवाही न बरती जाये क्योंकि गंदगी के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाए प्रबल होती है। उन्होंने ढीले तारों को टाइठ करने के साथ ही विधुत व्यवस्था मानक के अनुरूप करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ, उप कृषि निदेशक जयप्रकाश, कृषि वैज्ञानिक डा0 अशरफ हुसैन सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण तथा कृषक उपस्थित रहे।

i=l foKfIr

गोरखपुर 22 सितम्बर। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 25 सितम्बर को मुख्यालय दीवानी न्यायालय के प्रांगण में लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें सभी वादों को संधि सुलह एंव अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जायेगा।

स0सू0नि0 गोरखपुर